UPAD010073572026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष संख्या 02, प्रयागराज
उपस्थितः अनुराधा पुण्डीर, ... एच 0 जे0 एस 0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2732/2026

विजय भारतीया पुत्र स्व 0 मायाराम, निवासी सहजीपुर, थाना थरवई, जनपद प्रयागराज।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन

अपराध सख्या-455/2025
धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना सिविल लाईन्स, जिला प्रयागराज।

14.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त विजय भारतीया की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मसूरियादीन भारतीया (अभियुक्त का बाबा) का शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है. न विचाराधीन है और न ही निरस्त की गयी है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामाश्रय यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाईन्स द्वारा दिनांक 01.11.2025 को इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 01.11.2025 को वादी मुकदमा मय हमराह का0 निरंजन राय के मय सरकारी वाहन सं0-यू.पी.70 ए.जी. 3912 चालक हे0 का0 महेश यादव के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, शान्ति ब्यवस्था डयूटी तलाश वाछिंत अपराधी से मय अनुमोदितशुदा एक अदद गैंग चार्ट 1. सचिन पासी पुत्र रज्जन पासी नि0 सहजीपुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज उम्र 22 वर्ष (गैंग लीडर) 2. विकास कुमार उर्फ अमित पुत्र दिलीप कुमार नि0 पूरनतारा थाना थरवई जनपद प्रयागराज उम्र 23 वर्ष (गैंग सदस्य) 3. मोनू तिवारी पुत्र ह्रदय शंकर तिवारी नि0 जगदीशपुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज उम्र 21 वर्ष (गैंग सदस्य) 4. विश्वनाथ सोनी पुत्र प्रकाश सोनी नि0 शिवगढ़ थाना सोरांव जनपद प्रयागराज उम्र 29 वर्ष (गैंग सदस्य) 5. विजय भारतीया पुत्र स्व 0 मायाराम नि0 सहजीपुर थरवई थाना थरवई जनपद प्रयागराज उम्र 27 वर्ष (गैंग सदस्य) 6. इन्द्रजीत सरोज पुत्र शंकर लाल सरोज निवासी ग्राम सहजीपुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज उम्र 21 वर्ष (गैंग

सदस्य) के विरूद्ध 1. मु0 अ 0 सं0 122/2025 धारा 304 बी.एन.एस. थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज विरुद्ध 1. सचिन पासी (गैंग लीडर) 2. विकास कुमार उर्फ अमित (गैंग सदस्य) 3. मोनू तिवारी (गैंग सदस्य) 4. विश्वनाथ सोनी (गैंग सदस्य) 5. विजय भारतीया (गैंग सदस्य) 2. मु0 अ 0 सं0 135/2025 धारा 304 बी.एन.एस. थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज विरुद्ध 1. सचिन पासी, 2. विकास कुमार उर्फ अमित, 3. मोनू तिवारी, 4. विश्वनाथ सोनी, 5. विजय भारतीया 3. मु0 अ 0 सं0- 017/2025 धारा 304 बी.एन.एस. थाना शिवकुटी प्रयागराज विरुद्ध सचिन पासी 4. मु0 अ 0 सं0 39/2025 धारा 304 बी.एन.एस. थाना सिविल लाईन, प्रयागराज विरुद्ध अभियुक्तगण 1.सचिन पासी व इन्द्रजीत सरोज 5. मु0 अ 0 सं0- 305/2025 धारा 304(2) बी.एन.एस. थाना सि0 ला0 प्रयागराज विरुद्ध अभियुक्तगण 1.सचिन पासी व इन्द्रजीत सरोज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं। उपरोक्त अभियुक्तो का एक सुसंगठित गिरोह है। अभियुक्तगण शातिर अपराधी है, जिनका गैंग लीडर सचिन पासी है, जो अपने तथा अपने गैंग के सदस्यो के साथ अपने व परिवार के आर्थिक एव भौतिक दुनियाबी लाभ हेतु सुनियोजित तरीके से झपट्टा मारकर महिलाओं से सोने के चेन छीन लेते हैं व उसे बेच कर अवैध धन अर्जित कर जघन्य अपराध कारित करते हैं इन लोगों के इस कृत्य से दहशत व आतंक का महौल जनता के बीच व्याप्त है इनके भय व आतंक से जनता में दहशत का माहौल व्याप्त है जिनके भय व आतंक से आम जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है और इनके विरुद्ध गवाही देने को कोई भी व्यक्ति साहस नही जुटा पा रहा है, जिसके कारण इनका मनोबल निरंतर बढता जा रहा है। यह भादवि के अध्याय 17 में वर्णित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी है इनका स्वतंत्र रहना जनहित व न्यायहित मे उचित नही है जिनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय से दिनांक 01.11.2025 को अनुमोदन प्राप्त किया गया है, अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट के आधार पर धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करें।

3. गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध 1. मुकदमा अपराध संख्या 122/2025, धारा-304,317(2),317(4),317(5),112(2),3(5) बी.एन.एस. थाना सिविल लाईन, प्रयागराज 2. मुकदमा अपराध संख्या 135/2025, धारा -304, 317(2), 317(4), 317(5), 112(2), 3(5) बी.एन.एस.. थाना सिविल लाइन्स प्रयागराज पंजीकृत होना उल्लिखित है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि वह निर्दोष है एवं उसको रंजिशन एवं झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी सम्भ्रान्त परिवार से संबंध रखता है एवं प्रार्थी किसी भी गैंग का सदस्य नहीं है। प्रार्थी के ऊपर लगाए गए आरोप सत्य एवं निराधार है। प्रार्थी पढ़ा-लिखा एवं सम्मानित व्यक्ति है। प्रार्थी न ही किसी गैंग का सदस्य औऱ न ही भारतीय दंड विधान अध्याय 17 में वर्णित अभ्यस्त अपराधी है। गैंग चार्ट में वर्णित दोनों अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी को दिनांक 13.05.2026 को घर से पुलिस गिरफ्तार करके ले गयी और मुकदमा उपरोक्त में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है कोई भी जमानत प्रार्थना

पत्र सत्र न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न खारिज हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विषेश लोक अभियोजक (गैंगस्टर) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा गैंग के अन्य साथियों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने के लिये चोरी, लूट जैसे गम्भीर अपराध कारित किया गया है, अभियुक्त जमानत पर छूटने से पुनः अपराध की पृनरावृत्ति कर सकता है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विषेश लोक अभियोजक (गैंगस्टर) के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में छिनैती से संबंधित कुल 02 मामले पंजीकृत होना दर्शाया गया है और गैंगचार्ट के अनुमोदन के बाद आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 में सम्बन्धित थाने में दिनांक 01.11.2025 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संबंधित थाने द्वारा प्रेषित आख्या में आवेदक/अभियुक्त के गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमों के अतिरिक्त 09 मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जिसमें थाना दारागंज, जिला प्रयागराज में भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना भी उल्लिखित है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) यह प्राविधानित करता है कि ‘‘यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट रहे कि पत्रावली पर विश्वास करने योग्य सम्यक तथ्य उपलब्ध है कि अभियुक्त जिस अपराध का आरोपी है वह अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है और भविष्य में भी अभियुक्त के द्वारा अपराध करने की सम्भावना नहीं है तब मात्र इन्हीं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेगा।‘‘

8. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि आवेदक/अभियुक्त गैंग सदस्य है तथा अभियुक्त के उपरोक्त गैंग द्वारा कई चोरी व लूट जैसे गम्भीर अपराध किये जाने का आरोप है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट हो अथवा न्यायालय को यह विश्वास हो सके कि आवेदक/अभियुक्त ने गैंगचार्ट में अंकित अपराध कारित नहीं किया है। सम्बन्धित थाने से अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास प्रेषित किया गया है, उसमे उसके विरूद्ध कुल 11 आपराधिक मामले पंजीकृत होना वर्णित है। उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर भौतिक व आर्थिक लाभ हेतु चोरी व लूट जैसे अपराध कारित किये गये हैं। अतः उसके द्वारा गैंगस्टर के रूप में आगे कार्य जारी रखने से इन्कार नही किया जा सकता। इस प्रकार, गैंगचार्ट/पुलिस आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध दर्शित अपराधों की प्रकृति के

दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियुक्त के सम्बन्ध में उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) (ख) के अधीन राय सकारात्मक रूप से नही बनायी जा सकती। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत दृष्टिगत रखते रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त विजय भारतीया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं. 2732/2026 अपराध सख्या-455/2025 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोबन्द समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना सिविल लाईन्स, जनपद प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं. 2, प्रयागराज
जे.ओ. कोड यू0 पी0 6343

दिनांक 14.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.17 11:04:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court